(12)

(ii) having eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band PB-1 of Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department; and

(iii) Possessing three years experience in cash Accounts and Budget work.

Desirable:

Successful completion of training in Cash and Accountants Work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent.

Note 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Not applicable.

[F. No. A-51011/1/2008-Ad.-V]

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय उप महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में उप-महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) के उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, उप-महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—इस पद की संख्या, उसाका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे	क्या चयन अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप महारजिट्रार (सामाजिक अध्ययन)	1* (2010) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड पी.बी.-4 37,400-67,000 रु. ग्रेड पे 8700 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	50 वर्ष से अनधिक । **टिप्पणी 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी । असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या सांविधिक, स्वायत या अर्ध सरकारी संगठन में सामुदायिक अध्ययन में विशिष्ट संदर्भ सहित समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण और अनुसंधान में भागीदारी और मार्गदर्शन का बारह वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** आवेदक के अन्यथा सुअर्ह होने की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पण 2 :** यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि अ.जा. अथवा अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के आवेदक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार ऐसे आवेदकों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान में डाक्टरेट की डिग्री अथवा समकक्ष।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : क्या भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जमा प्रोन्नति] जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जमा प्रोन्नति] :** I : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा अर्ध सरकारी, सांविधिक अथवा स्वायत संगठन के अंतर्गत ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे बैंड पीबी-3 15600-39100 रुपए ग्रेड पे 7600 रुपए या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो कालम 8 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(12)

II. बाह्य आवेदकों के साथ-साथ पे बैंड पीबी-3 15600-39100 रुपए ग्रेड पे 7600 रुपए सहित ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा सामाजिक नृविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारक विभागीय सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) भी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे और यदि ऐसे व्यक्तियों का पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा ।

टिप्पणी 1 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए 1-1-2006 अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा की गई नियमित आधार पर सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए, 1-1-2006 अथवा वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तनदुरूपी ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । इसमें एक समान ग्रेड पे या वेतनमान में संशोधन से पूर्व के एक से अधिक वेतनमान का एक ग्रेड में विलय शामिल नहीं है और यह लाभ केवल उन्हीं पदों पर मिलेगा जहां किसी उन्नयन के बगैर ग्रेड पे अथवा वेतनमान को सामान्यत: प्रतिस्थापित किया गया है ।

(फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
पुष्टिकरण पर विचार के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-16011/2/2004-प्रशा.-II/प्रशा.V]

बी. बी. मुखर्जी, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 2010

G.S.R. 156.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Deputy Registrar General (Social Studies) Group' A' Post Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Registrar General (Social Studies) in the Office of the Registrar General, India, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Deputy Registrar General (Social Studies) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Registrar General (Social Studies)	1* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band PB-4 Rs. 37400-67000 Grade Pay Rs. 8700	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 50 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt

(7)
of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Master's Degree in Sociology or Social Anthropology from a recognised University. (ii) Twelve years' experience of participation and guidance of investigation and research in the field of Sociology or Social Anthropology with special reference to community studies in the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory, Autonomous or Semi-Government Orgnisations. **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case, of candidates otherwise well qualified. **Note2:** The Qualifications regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** Doctorate Degree in Sociology or Social Anthropology from a recognised University.	Age : No Educational Qualification : Yes	One year for direct recruits

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion] failing which by direct recruitment	**Composite method [deputaton (including short-term contract) plus promotion] :** I. Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band PB-3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs.7600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. H. The departmental Assistant Registrar General (Social Studies) in the Pay Band PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs.7600 with five years' regular service in the grade and possessing Master's degree in Sociology or Social Anthropology from a recognised university, shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 2 :** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including short- term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).**

405

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :— 1. Registrar General, India —Chairman 2. Additional Registrar General, India —Member 3. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/2/2004-Ad. II/Ad-V]

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 157.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2007 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—इस पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।